

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

--: आदेश ::--

सं० सं०-17/विविध- 01-26/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० मनीषा भारती, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से द्वितीय संतान हेतु मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापांक :-17/विविध- 01-26/2026 -291(17) पटना, दिनांक :- 05/03 /2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० मनीषा भारती, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।